सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

**अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर**

रणजीत राम बनाम स्टेट

अपील प्रकरण सं0 23 / 2019

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज | नम्बर व तारीख |
|---|---|---|
| 09.04.2019 | अपीलांट के अधिवक्ता उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाती है।<br>स्थगन प्रार्थना पत्र पर अपीलांट के अधिवक्ता को सुना गया। अपीलांट की एक पक्षीय बहस सुनी गयी एवं बहस पर मनन किया गया। बिना राजकीय पक्ष को सुने, एकपक्षीय स्थगन दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। रेस्पोडेन्टस एवं रिकॉर्ड तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 25.04.2019 को पेश हो। | प्रति 6/5 9/5 |
| 25/4/19 | पीठासीन अधिकारी अवकाश/अन्य पर ...... कार्य में व्यस्त है। पक्ष कारान के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 29/4/19 को पेश हो। | |
| 29/4/19 | पीठासीन अधिकारी अवकाश/अन्य पर ...... कार्य में व्यस्त है। पक्ष कारान के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 1/5/19 को पेश हो। | |
| 1/5/19 | पीठासीन अधिकारी अवकाश/अन्य पर ...... कार्य में व्यस्त है। पक्ष कारान के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 2/5/19 को पेश हो। | |
| 2/5/19 | अपीलांट अधिवक्ता उप. तहसीलदार सादुलशहर के पत्रांक-592/30.4.19 द्वारा रिकार्ड प्राप्त हुआ। पत्रावली दिनांक-3/5/19 को पेश हो। | |
| 3/5/19 | अधिवक्ता उपस्थित। स्थगन प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता अपीलांट को सुना गया। अधिवक्ता अपीलांट की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया है। अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील के बिन्दु संख्या 05 में अपीलांट की भूमि भारयुक्त भूमि होने से इसका कब्जा नहीं लिया जा सकता था और भारयुक्त भूमि का कब्जा लेकर यह भूमि अपीलांट को वापिस दी जानी थी जिसे अपनी बहस में स्वीकार किया। अतः पृथमदृष्टया अपीलांट के पक्ष में साबित नहीं होता। अधिवक्ता अपीलांट ने आगे अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार सादुलशहर द्वारा उसे बिना नोटिस दिये एक पक्षीय आदेश पारित किया है, जबकि मूल रिकॉर्ड के अवलोकन से पाया गया कि नोटिस की पुष्त पर तामिल कुन्निदा की रिपोर्ट अनुसार सायल मौके पर उपस्थित मिला नोटिस की एक प्रति दी गई। इससे प्रतीत होता है कि अपीलांट को सूचना होने के बावजूद उपस्थित नहीं हुआ हैं। अतः सुविधा का सन्तुलन भी अपीलांट के पक्ष में नही है। अपीलार्थी एक स्थान पर पैरा संख्या 02 में अपनी भूमि को भारयुक्त बताते है वही पैरा संख्या 05 में अपीलार्थी की भूमि को भारमुक्त बताया जा रहा है। अतः अपीलार्थी द्वारा पैरावाईज दी गयी स्थिति अस्पष्ट एवं विरोधाभाषी है। फलस्वरूप अपीलांट का स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली में मूल रिकॉर्ड तहसील कार्यालय के पत्र कमांकःरीडर/2019/592दिनांक 30.04.2019 द्वारा प्राप्त हो चुका है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 29.05.2019 को पेश हो। | |

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

21/3/19 बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभावक उपस्थित नहीं आ रहे हैं। पीठासीन अधिकारी ........ है। पत्रावली दिनांक 28/6/19 को पेश हो।

28/6/19 अपीलार्थी अधिवक्ता ... बहस हेतु ... पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 7/8/19 को पेश हो।

7/8/19 अपीलार्थी अधिवक्ता एवं ... बहस हेतु ... पत्रावली वास्ते बहस दि॰ 16/8/19 को पेश हो।

16.08.2019 अपीलार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने स्वंय उपस्थित होकर निवेदन किया कि अनवानी अपील को आगे नही चलाना चाहते है। इसलिए लोक अदालत की भावना से अपने अपील प्रकरण को प्रार्थी इसी स्टेज पर दाखिल दफतर करवाना चाहता है। साथ ही अपील र्थी के अधिवक्ता ने नोटप्रेस कर प्रकरण में आगे कार्यवाही नहीं करने का निवेदन किया। अतः अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा नोटप्रैस करने के कारण, हस्तगत अपील नोटप्रैस में खारिज की जाती है। आदेशिका की सम्बन्धित तहसीलदार को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Note Press
16/8/19

आदेश सुनाया गया।

16/8

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner